... प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के ... ... निवासी ... ... सिटी की ओर से श्री मोहम्मद इस्लाम खान, ... ने हमारे समक्ष पेश किया गया। प्रार्थी के वकील को ... प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज ... किया जावे। तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रार्थना पत्र ... भिजवाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट चाही जावे एवं ... की तलबी जरिए नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक ...2021 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

23-2-2021 वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी के प्रतिनिधि उप०। वास्ते रिपोर्ट पत्रावली दि० 9-3-2021 को पेश हो। श्रीमान S.D.O. सा० भ्रमण पर हैं।

9-3-2021 वकीलों द्वारा कन्डोलेन्स। गतादेशानुसार पत्रावली दि० 23-3-2021 को पेश हो।

23-3-2021 वकीलों द्वारा कन्डोलेन्स। गतादेशानुसार पत्रा० दि० 20-4-2021 को पेश हो।

31-3-2021 तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी व लैण्डहोल्डर उपस्थित हैं। दोनों को सुना गया। प्रा०पत्र 136 L.R.Act स्वीकार किया ... । विस्तृत निर्णय पृथक से लिख ... शामिल किया गया। पत्रावली ... नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल ...

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:44 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

बनाम

तहसीलदार, तहसील गंगापुर सिटी

पुत्र रामहेत जाति बैरवा निवासी बाढ मिलकपुर तह. गंगापुर सिटी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

हैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बाढ मिलकपुर मे स्थित भूमि ख0नं0 321 रकबा ... हेक्टर, ख0नं0 383 रकबा 0.39 हेक्टर, ख0नं0 384 रकबा 0.36 हेक्टर, ... 385 रकबा 0.40 हेक्टर ग्राम बाढ मिलकपुर हैं उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम ... पुत्र रामहेत दर्ज कर रखा है। जो रेवन्यु कर्मचारियों की गलती से हुआ है जबकि खतौनी आधार वर्ष मे प्रार्थी का सही नाम भजन पुत्र रामहेत दर्ज है, उक्त गलती जमाबन्दी बनाते समय रेवन्यु कर्मचारियो द्वारा की गयी लिपिकीय गलती है, ऐसी गलती को जमाबन्दी जांच के समय फर्द बदर भरके दुरुस्त कर देना चाहिये था लेकिन रेवन्यु कर्मचारियों द्वारा उक्त गलती को फर्द बदर भर कर दुरुस्त नही किया गया। उक्त गलती से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पडने की पूरी पूरी संभावना है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि जमाबन्दी हाल ग्राम बाढ मिलकपुर में से प्रार्थी का नाम ... पुत्र रामहेत की बजाय भजन पुत्र रामहेत दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2071–74 खाता संख्या 35 ग्राम बाढ मिलकपुर, नकल खतौनी जमाबंदी संवत 2039 नकल जमाबंदी संवत 2047–2050, नकल जमाबंदी संवत 2039–2058, फोटोकॉपी आधार कार्ड, फोटोकॉपी मतदाता पहचान पत्र, फोटोकॉपी राशन कार्ड प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट मांगी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि ग्राम बाढ मिलकपुर की भू–प्रबन्ध खतौनी संवत 2039 में खसरा नं0 321, 322, 323, 383, 384 एवं 385 किता 6 रकबा 2.... हे0 सुखजी, घीस्या, भजन पुत्रान रामेत, जगन पुत्र गेंदा, सेड्या पुत्र सुकल्या के नाम दर्ज था जो आधार वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

गंगापुर सिटी (स0मा0)

... है। वर्तमान ... बाढ मिलकपुर के खसरा नम्बर 321, 322, 323, 383, 384 एवं ... प्रार्थी का नाम नारायण पुत्र रामेत के बजाय भजन पुत्र रामहेत किया ... उचित है।

... पत्र पर वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 को सुना गया। ... ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

इस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ... किया। नकल खतौनी जमाबंदी संवत 2039 के अनुसार भूमि ख0न0 ... 322, 323, 383, 384, 385 ग्राम बाढ मिलकपुर मे सुखजी, घीस्या, भजन, ... रामेत, जगन पुत्र मेंदा, सेडया पुत्र सुकल्या जाति चमार निवासी ग्राम ... के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी आधार वर्ष सवंत 2039–2058 मे ... भूमि मे भजन के स्थान पर नाराण दर्ज कर दिया गया है। यही ... संवत 2047–2050 एवं संवत 2071–74 मे रिपीट हुई है। मूल खतौनी ... संवत 2039 के अनुसार प्रार्थी का नाम भजन दर्ज है जो बाद मे ... लिख दिया गया है। प्रार्थी इस गलती को दुरूस्त कराने का अधिकारी ... अप्रार्थी संख्या 1 ने भी अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी का नाम नाराण पुत्र रामेत ... बजाय भजन पुत्र रामहेत किया जाना बताया है। फलस्वरूप प्रार्थी का ... पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ... जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 35 ग्राम बाढ मिलकपुर में दर्ज प्रविष्टि "नारायण पुत्र रामहेत हिस्सा 1/9 जाति बैरवा सा.देह खातेदार" के स्थान पर प्रविष्टि " भजन पुत्र रामहेत हिस्सा 1/9 जाति बैरवा सा.देह खातेदार " दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:44 IST
Reason: SelfAttested